न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2018-00361Ju2018-162 Smt. Jamnadevi Vs Sang Singh etc

श्रीमती जमनादेवी पत्नि श्री जेठूसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी- कनोडिया पुरोहितान्, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. सांग सिंह पुत्र श्री विजय सिंह
02. अभय सिंह पुत्र श्री विजय सिंह
03. छतर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह
04. प्रेम सिंह पुत्र श्री विजय सिंह
05. कल्याण सिंह पुत्र श्री मंगलसिंह
06. कमला कंवर पत्नि भंवर सिंह

सभी जातियान् राजपुरोहित, निवासी- कनोडिया पुरोहितान्, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

07. गोविंद सिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति राजपुरोहित, निवासी- जेठन्तरी तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर।
08. मदन सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह
09. पप्पू सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह
10. राजू सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह
11. संजूदेवी पत्नि श्री फतेह सिंह
12. सुगना देवी पत्नि श्री चैन सिंह
13. अर्जून सिंह पुत्र पूंजराज सिंह
14. जुगत सिंह पुत्र श्री पूंजराज सिंह
15. नरपत सिंह पुत्र श्री पूंजराज सिंह
16. सोहन सिंह पुत्र श्री पूंजराज सिंह
17. विरम सिंह पुत्र श्री पूंजराज सिंह
18. लाभुदेवी पत्नि श्री पूंजराज सिंह
19. चैन सिंह पुत्र श्री अलीदास सिंह
20. मनोहर सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह
21. विशन सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
22. रघुवीर सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
23. पुरुषोतम सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
24. झमकूदेवी पत्नि श्री अमर सिंह
25. उगमा देवी पत्नि श्री तग सिंह
26. भंवर सिंह पुत्र श्री भैरुसिंह
27. सुंदर कंवर पत्नि श्री भैरुसिंह
28. नरपत सिंह पुत्र श्री भैरुसिंह
29. हरचंद सिंह पुत्र श्री भैरुसिंह
30. इन्द्र सिंह पुत्र श्री भैरुसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

31. उम्मेद सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह
32. रतन सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह
33. मीरा पत्नि उत्तम सिंह
34. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह
    सभी जातियान् राजपुरोहित, निवासी- कनोडिया पुरोहितान्, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
35. सहायक अभियंता, जोधपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड, देचू।
36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर दिनांक 20 सितंबर 2018 राजस्व विविध पार्थना पत्र संख्या 39/2018 जमनादेवी बनाम सांग सिंह इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 36

नि र्ण य

दिनांक : 12 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालसेर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 39/2018 जमनादेवी बनाम सांगसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 सिंतबर 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 25 सितंबर 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी/वादीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी के बंट के खसरा नं. 331 में सें रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा से बेदखल नही करने तथा वादीनी के हिस्से की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर खुदवाये गये नलकूप पर स्थापित विद्युत संबंध को विच्छेद करने एवं ट्रांसफार्मर हटाये जाने से रोके जाने के लिए एवं वादीनी की हक हिस्से की भूमि के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् वादीनी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विद्वान सहायक कलक्टर ने मामला आवश्यक प्रकृति का होने से एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.06.2018 को भूमि खसरा नं. 331 की यथास्थिति कायम रखने का अप्रार्थीगण को आदेश दिया एवं बाद अप्रार्थी संख्या एक से तीन के नोटिस तामील होने पर पेशी दिनांक 13.09.2018 को उपस्थित हुए एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा शेष अप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त नहीं होने पर इंतजार किये जाने का आदेश दिया तथा पत्रावली दिनांक 20.09.2018 को रखी गयी। दिनांक 20.09.2018 को बिना किसी कारण के एवं शेष अप्रार्थीगण की तामील व जवाब लिये, विद्युत संबंध की बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हटाये जाने का तथा अप्रार्थी को विद्युत कनेक्शन स्थानांतरण करने की छूट देते हुए आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश नियम एवं अभिलेख के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलार्थीनी का वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आज भी विचाराधीन है तथा निपटारे से पहले विद्वान सहायक कलक्टर का अस्थायी निषेधाज्ञा के पारित पूर्व आदेश को हटाने का पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है तथा विद्वान सहायक कलक्टर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णय से पूर्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को नहीं हटा सकते है। विद्वान सहायक कलक्टर ने सामलाती खातेदारी भूमि पर स्थापित एक सह खातेदार के नाम विद्युत संबंध को हटाने का विच्छेद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने का, स्थानांतरण करने का अधिकार होना मानने में भारी भूल की गयी है, इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने के योग्य है, जबकि सामलाती खातेदारी की भूमि पर एक सहखातेदार के नाम से लिया गया विघुत संबंध सभी के कब्जे का और सभी के लिये लिया गया संबंध माना जाता है। सामलाती खातेदारी की भूमि पर स्थापित विघुत संबंध को बिना सहखातेदारान की सहमति से हटाने का, स्थानांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान सहायक कलक्टर ने भूमि पर खड़ी मुंगफली की फसल के दौरान विघुत संबंध हटाने की छूट देने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रूटि की गयी है। इसमें निवेदन यह करना है कि यदि विघुत संबंध बलपूर्वक हटा दिया जाता है तो मौके पर अपीलार्थीनी की खड़ी फसल जल कर नष्ट हो जायेगी, जिससे अपीलार्थीनी को अपार नापूरित होने वाली हानि कारित होगी, विद्वान सहायक कलक्टर ने अपूरणीय क्षति के बिंदु का निर्धारण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रथमदृष्टया अप्रार्थी संख्या एक से चार को पूर्व से आपसी सहमति से स्थापित विघुत संबंध को बिना अन्य सहखातेदारान् की सहमति लिये अन्यंत्र हटाने एवं पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान सहायक कलक्टर ने इस कारण की ओर बिना ध्यान दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीनी ने विघुत संबंध स्थापित करने से लेकर आज दिन तक विघुत भार वहन किया है तथा अपीलार्थीनी विवादित भूमि की अभिलिखित सह खातेदार काश्तकार है, जिसको विघुत संबंध के उपयोग उपभोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का तुलनात्मक संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। विद्वान सहायक कलक्टर ने प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन पर बिना कोई ध्यान दिये निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान सहायक कलक्टर ने अपीलार्थीनी को खरीददार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होना मानने एवं अप्रार्थीगण को मूल खातेदार होना मानने में भारी भूल की गयी है, जबकि ऐसा उजर अप्रार्थीगण के जवाब में नहीं है, ना ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा अपीलार्थीनी के हिस्से वाली भूमि की अपीलार्थीनी का परिवार प्रारम्भ से ही सहखातेदार काश्तकार चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 सितंबर 2018 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20 अगस्त 2018 को बहाल किये जाने का आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलार्थीनी जमनादेवी विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 331 रकबा 155.12 बीघा, खसरा नं. 388 रकबा 157.06 बीघा की रेकर्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीनी/अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थीनी के पक्ष में मानकर अप्रार्थीगण/रेस्पो. को विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 331 ग्राम कनोडिया पुरोहितान की आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित किये गये तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक से तीन द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष अप्रार्थीगण की बिना तामील तथा उनका जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आये बिना ही पूर्व पारित स्थगन आदेश में विद्युत कनेक्शन स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान कर दी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पिता विजय सिंह के नाम से विद्युत कनेक्शन दिनांक 04.03.2012 हेतु डिमाण्ड राशि रूपये 44950 रूपये अप्रार्थी संख्या एक से तीन क पिता विजयसिंह की सहमति पर प्रार्थीया द्वारा अदा की गई तथा आज दिन तक विद्युत भार का वहन प्रार्थीया द्वारा किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में मानकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई, किंतु दिनांक 20.09.2018 को प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना अप्रार्थी संख्या एक से तीन के जवाब के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर विवेचन किये बिना सहखातेदार द्वारा प्रदत सहमति के आधार पर प्राप्त विद्युत कनेक्शन को स्थानांतरित किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश की पालना में विद्युत संबंध विच्छेद/स्थानांतरित कर दिया जाता है तो सहखातेदार काबिज काश्त प्रार्थीया की खड़ी फसल नष्ट होने से उसे अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। इन परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थीनी के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतरिम आदेश समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 सितंबर 2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर निष्कर्ष देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें। तब तक अदालत हाजा का अंतरिम आदेश दिनांक 27.09.2018 पुष्ट किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर